उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज बनाम मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील प्रार्थी की वहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबंदी सं.2071–74 का अवलोकन करने पाया कि उक्त वर्णित आराजी में उभयपक्ष सह खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होता है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण आराजी की बिना विधिवत बंटवारा कराये किस्म परिवर्तन करा सकते है और प्रार्थी की आराजी पर कब्जा कर सकते है जिससे प्रार्थी को अपूरनीय क्षति होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वादपत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम शीशवाडा तहसील महवा जिला दौसा की आराजी खसरा नम्बर 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72 कुल किता 7 कुल रकबा 2.02 हैक्टर व खसरा नम्बर 71 रकबा 1.82 में प्रार्थी के कब्जा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल बाद संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

Scanned with OKEN Scanner